हिन्दुस्तान

नरेगा कानून में अनियमितता के खिलाफ गोलबंद हुए ग्रामीण

'रोटी की आजादी के सवाल पर भिड़ना होगा'

[illegible]

ठेकेदार-बिचौलिये पॉकेट में लेकर घूम रहे हैं जॉब कार्ड

[illegible]

31 को राज्यस्तरीय ट्रिब्यूनल खुलेगा कानून का जमीनी सच

[illegible]

दैनिक जागरण
31-oct-2006

रोजगार गारंटी योजना का लाभ 10% लोगों को ही

झारखंड स्वशासन मंच ने राज्य भर की यात्रा कर रैली का आयोजन किया, कार्यक्रम रोजगार गारंटी कानून को लेकर था.

संवाददाता

रांची : रोजगार गारंटी योजना का लाभ राज्य के पांच से दस फीसदी लोगों को ही मिल पाया है. ज्यादातर जिलों में तो अभी काम ही शुरू नहीं हुआ है. एनबीजेके के गिरिजा सतीश ने यह बातें कहीं. वह रविवार को मोरहाबादी मैदान में झारखंड रोजगार अधिकार अभियान रैली को संबोधित कर रहे थे. रैली का आयोजन झारखंड स्वशासन मंच ने किया था. पुअरेस्ट एरियाज सिविल सोसाइटी (पैक्स) द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त यह मंच झारखंड की लगभग 104 गैर सरकारी संस्थाओं का नेटवर्क है. श्री गिरिजा ने कहा कि लोगों को जागरूक करके ही इस योजना का लाभ दिलाया जा सकता है. झारखंड विकास मोर्चा के प्रभाकर तिर्की ने कहा कि रोजगार गारंटी योजना का लाभ ग्रामीणों को जल्द मिले, इसके लिए सरकार को अपना प्रशासनिक दायित्व निभाना होगा. लोक जागृति केंद्र के पंकज कुमार ने कहा कि महिलाओं को काम में एक तिहाई आरक्षण नहीं मिल रहा है. लोक जागृति केंद्र के अरविंद कुमार ने कहा कि राज्य भर में आयोजित यात्रा के दौरान यह बात सामने आयी कि रोजगार गारंटी कानून की जानकारी ग्रामीणों को नहीं है.

इससे पहले रांची रेलवे स्टेशन से रैली की शुरुआत हुई. विनोद, रामलाल प्रसाद, पूर्वी पॉल, कल्याणी मीणा, कुमार रंजन, सखी कुमारी, जवाहर ज्योति, गणेश महतो व राकेश पांडेय ने भी रैली को संबोधित किया. कार्यक्रम का संचालन एके सिंह ने किया. इधर, 31 अक्टूबर को यात्रा के दौरान संकलित केस स्टडी कंपाइल करके झारखंड स्वशासन मंच के राज्य ट्रिब्यूनल को सौंपी जायेगी. यह कार्यक्रम 31 अक्टूबर को एसडीसी में सुबह 11 बजे शुरू होगा.

Aaj
1st Nov-2006

उपायुक्त ने ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को त्वरित रूप से लागू करने का निर्देश दिया

रांची (रां.ए.सं.) : रांची के उपायुक्त कमल किशोर सोनन ने उपविकास आयुक्त को जिले में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 2006-07 की योजनाओं को त्वरित एवं चरणबद्ध रूप से लागू करने का निर्देश दिया है। उपायुक्त ने उपविकास आयुक्त को लिखे पत्र में कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अनुरुप इसका समयबद्ध क्रियान्वयन होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि सभी राजस्व ग्रामों में एक-एक तालाब एवं दो-दो सिंचाई कूप की योजना की स्वीकृति अनिवार्य है। 10 नवम्बर तक ग्राम सभाओं में लाभुक समितियों का गठन एवं भूमि सत्यापन अनिवार्य है। विवाद रहित सभी राजस्व ग्रामों में कार्य आरम्भ कराया जाए तथा सूची भेजी जाए। 12 नवम्बर तक यह कार्य हो जाना चाहिए। 15 नवम्बर तक प्रारम्भ की जा रही योजनाओं का कायदिश जारी किया जाए तथा प्रथम अग्रिम भुगतान किया जाए। 16 नवम्बर तक कार्य प्रारम्भ कर दिए जाएं। उन्होंने कहा कि झारखंड पंचायती राज नियमावली के अनुरुप ग्राम सभा की अध्यक्षता ग्राम प्रधान करेंगे तथा कोषाध्यक्ष कार्यवाही का अभिलेखन करेंगे।श्री सोन ने कहा कि योजना प्रारम्भ होने से पूर्व पर्यविक्षक एवं तकनीकी पदाधिकारी स्थल का भौतिक सत्यपान कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

31st Oct. 2006
Hindustan Times
Ranchi Edition
~~1st Nov-2006~~.

Rally held to create NREGS awareness

HT Correspondent
Ranchi, October 29

TO CREATE mass awareness on National Rural Employment Guarantee Scheme (NREGS), Jharkhand Swashasan Manch (JSM), a forum of 104 Civil Society Organisations (CSO), on Sunday organised Jharkhand Rojgar Adhikar Abhiyan Rally.

The rally was the culmination of state-wide 'Rojgar Adhikar Yatras'. Society first yatra started from Daltonganj on October 16 passing through Garhwa, Latehar, Chatra, Hazaribag, Koderma, Dhanbad, Bokaro, West Singhbhum and Simdega. The second yatra started from Giridih passing through Dumka, Godda, Sahibganj, Pakur and Jamtara.

DIWAKAR PRASAD/HT

Tribal dancers present a Mardana Jhumar at a rally at Morhabadi ground in Ranchi on Sunday.

The rally starting from Ranchi railway station passes through various roads before turning to a general meeting at Morhabadi grounds. The participants at the rally demanded the immediate implementation of NREGS at grass root level.

Addressing the rally, Vinod Kumar from Sampurna Gram Vikas Kendra (SGVK) said during the yatra it was observed that people from the villages were not aware about NREGS Act. There is lack of awareness even among the officials. Kumar advocated for strengthening Gram Sabha for speedy implementation of NREGS. If the scheme works properly, migration of people to others states would lessen.

Girija Satish of Nav Bharat Jagriti Kendra (NBJK) claimed that progress of the NREGS was not up to the mark in almost in the state. Satish emphasised on need for mass awareness campaign by the State Government.

Expressing concern over the lack of information to the villagers in this regard, Pankaj Kumar of Lok Jagriti Kendra advocated for implementing one-third reservation for women under the scheme. He pointed out discrepancies in payment for work.

Leader of Jharkhand Vikas Morcha (JVM) Prabhakar Tirkey emphasised on making administration more accountable for speedy implementation of NREGS.

Co-ordinator of JSM AK Singh said that Rojgar Adhikar Abhiyan is an initiative of the Manch supported by Poorest Areas Civil Society (PACS) programme. Singh said the yatra sensitised villagers and made them aware about NREGS. The JSM organised street meet, street play, meetings, and seminars during the yatras. JSM also took the help of pamphlet and wall writing to aware villagers.

Prabhat Khabar
1st - Nov- 2006

रोजगार गारंटी पर जनसुनवाई संपन्न

रांची : पुरुलिया रोड स्थित एसडीसी सभागार में 31 अक्तूबर को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पर राज्यस्तरीय जनसुनवाई संपन्न हुई. इसका आयोजन झारखंड स्वशासन मंच के तत्वावधान में किया गया था. जनसुनवाई के लिए बने ट्रिब्यूनल में रांची के उपायुक्त केके सोन, सूचना आयुक्त हरिशचंद्र पातर मुंडा, कांग्रेस के प्रदेश महासचिव केएन त्रिपाठी, सर्ड के निदेशक सजल चक्रवर्ती, विष्णु राजगढ़िया, प्रभाकर तिर्की, सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार बलराम शामिल थे. रांची के उपायुक्त केके सोन ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से संबंधित मामलों को शीघ्र निपटाने की बात कही. उन्होंने उपविकास आयुक्त एमपी दास को इस संबंध में निर्देश भी दिया. श्री सोन ने कहा कि रोजगार गारंटी तथा सूचना के अधिकार जैसे विषयों पर मीडिया तथा स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा जनजागरण अभियान चलाया जाना चाहिए. रोजगार गारंटी योजना के समन्वयक केएन त्रिपाठी ने कहा कि इस योजना के पटरी पर आने में थोड़ा वक्त लगेगा. सर्ड के निदेशक सजल तिर्की ने जनसुनवाई को महत्वपूर्ण बताया. सूचना आयुक्त हरिशचंद्र पातर मुंडा ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सूचना के अधिकार कानून के प्रयोग पर जोर दिया. इस अवसर पर प्रभाकर तिर्की, सच्चिदानंद ने भी अपने विचार रखे.

Times of India
1st - Nov - 06.

Deputy commissioner KK Soan inaugurates a state tribunal of NREGS in Ranchi on Tuesday

Prabhat Khabar

योजना के लाभ के लिए समन्वित प्रयास जरूरी : एके सिंह

रोजगार गारंटी योजना पर राज्य स्तरीय जनसुनवाई

राज्य स्तरीय जनसुनवाई का उद्घाटन करतीं ग्रामीण महिलाएं।

रांची (सं) । ग्रामीण विकास के प्रधान सचिव एके सिंह ने कहा कि ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का पूरा लाभ झारखंड को मिले, इसके लिए समन्वित प्रयास जरूरी है। स्वयंसेवी संस्थाएं हर क्षेत्र में जाकार योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति देखें और गड़बड़ी दिखने पर उसकी जानकारी अवश्य दें। वह राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पर राज्य स्तरीय जनसुनवाई में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि एनआरइजीएस में ठेकेदार की रिश्वतखोरी, जाली मस्टर रोल, मस्टर रोल में गलत भुगतान दिखाने जैसे आरोप की जांच करें। इसके साथ ही समुदाय के लिए योजनाओं की उपयोगिता का आकलन भी करें। इन विषयों पर सोशल ऑडिट में हर संभव सहायता दी जायेगी। जन सुनवाई के दौरान राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से आये ग्रामीणों व कार्यकर्ताओं ने एनआरइजीएस के क्रियान्वयन से जुड़ी समस्याओं की जानकारी दी। लगभग 104 स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़े प्रतिनिधियों के अनुभव पर चर्चा की गयी। रांची के उपायुक्त केके सोन ने उपविकास आयुक्त एमपी दास को जिले से संबंधित समस्याओं को गहराई से समझने व लापरवाही बरतनेवाले अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया। रोजगार गारंटी योजना के कांग्रेस प्रदेश समन्वय के एन त्रिपाठी व सर्ड के निदेशक सजल चक्रवर्ती ने भी अपने विचार रखे। सूचना आयुक्त हरीश चंद्र पातर मुंडा ने एनआरइजीएस के सफल क्रियान्वयन के लिए सूचना के अधिकार कानून को महत्वपूर्ण बताया। झाविमो नेता प्रभाकर तिर्की ने नरेगा के अंतर्गत सोशल ऑडिट पर बल दिया और कौंसिल के गठन को जरूरी बताया। पंकज कुमार, कुमार रंजन, कल्याणी मीणा, विष्णु राजगढ़िया व सुधीर पाल ने भी अपने विचार व्क्त किये। जन सुनवाई का संचालन हीरा लाल, मैत्रीय घोष, अवध किशोर सिंह व अनीता ने की। धन्यवाद ज्ञापन सच्चिदानंद ने किया। कार्यक्रम का आयोजन झारखंड स्वशासन मंच द्वारा एसडीसी सभागार में किया गया था।